[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 25/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई, 2018

सा.का.नि. ..... (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 मार्च, 2018, जिसे सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 27 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, यथा :-

"*स्पष्टीकरण* - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय की दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।" के स्थान पर

निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"*स्पष्टीकरण* - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,

(a) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय की दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ;

(b) "वीनीर्ड इंजीनियर्ड वूडन फ्लोरिंग" जिसकी विशेष रूप से तीन परतें हैं अर्थात "टॉप लेयर", "मिडिल लेयर" और "बॉटम लेयर" हैं; टॉप लेयर वास्तविक लकड़ी है जो आकर्षक लगती है (अपने कास्ट ढांचे के कारण) और उसमें समग्र निर्माण के लिए अतिरिक्त

ताकत है और इसे लकड़ी की एक पट्टी, लकड़ी की दो पट्टियों और लकड़ी की तीन पट्टियों का बनाया जा सकता है; मिडिल लेयर, जो कि समग्र निर्माण का मुख्य भाग बनाता है और इसे ''फाइबर बोर्ड (एमडीएफ/एचडीएफ)'' का बनाया जाता है; और बॉटम लेयर वास्तविक लकड़ी होती है जो समग्र निर्माण को सहायता प्रदान करती है; विचाराधीन उत्पाद दो या तीन परतों का भी हो सकता है।"

(फा0 सं0 354/61/2018-टीआरयू)

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट- प्रधान अधिसूचना संख्या 17/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 मार्च, 2018 को सा.का.नि. 287 (अ), दिनांक 27 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया है ।